न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर०ए०एस०)

वाद सं० : 291 सन 2021

अनवान :–

1. सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री किशन लाल जाति जाट साकिन ललाना बास श्योपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. नरेन्द्र कुमार पुत्र कृष्ण लाल जाति जाट साकिन ललाना बास श्योपुरा तहसील नोहर।

वादीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादी

दावा इस्तकरार हक अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 12/08/2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता एक वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आश्य का पेश किया की रोही मौजा ललानाबास दिखनादा के खाता संख्या 293/274 की कुल 8.4110हैक में से 16129/126125 हिस्सा प्रत्येक वादीगण के नाम दर्ज है

उक्त भूमि मे वादीगण का नाम रायसिह पुत्र कृष्ण , नरसीराम पुत्र कृष्ण दर्ज कर रखा है जबकि वादी का सही नाम सुरेन्द्र कुमार पुत्र किशन लाल , नरेश कुमार पुत्र कृष्ण है सहवन से राजस्व रिकार्ड तैयार करते समय वादी का नाम गलत तौर से दर्ज किया गया है वादीगण का सही नाम सुरेन्द्र कुमार पुत्र किशन लाल , नरेश कुमार पुत्र कृष्ण है यही नाम सभी दस्तावेजात में दर्ज है।

वादीगण के सभी दस्तावेजात जैसे भारत निर्वाचन आयोग का मतदाता फोटो पहचान पत्र , भारत सरकार का आम आदमी का आधार कार्ड , परिवार राशन कार्ड सभी में वादीगण का नाम सुरेन्द्र कुमार पुत्र किशन लाल , नरेश कुमार पुत्र कृष्ण दर्ज है किन्तु राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम रायसिह , नरसीराम दर्ज किया गया है जो गलत है तथा सरपंच ग्राम पंचायत ललाना उतरादा के अनुसार भी वादीगण का नाम सुरेन्द्र कुमार पुत्र किशन लाल , नरेश कुमार पुत्र कृष्ण है।

वादीगण का राजस्व रिकार्ड में नाम गलत तौर से दर्ज होने से वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है वादीगण को राज्य सरकार के द्वारा दी जाने वाली केसीसी , खाद बीज का ऋण , मुआवजा व अन्य योजनाओं का लाभ प्राप्त नही हो पा रहा है वादी का अन्य किसी सहखातेदार से कोई अनुतोष नही है वादी केवल राजस्व रिकार्ड में अपना नाम संशोधन करवाना चाहता है।

अतः वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाकर रायसिह , नरसीराम के स्थान पर सुरेन्द्र कुमार पुत्र किशन लाल , नरेश कुमार पुत्र कृष्ण संशोधन करने के आदेश फरमावे वादी का वाद डिक्री फरमावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 की और से पेरोकार राज उपस्थित होकर जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे जबाब शामिल मिलस किया गया। उभयपक्षों की बहस सुनी ।

वकील वादीगण के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा ललानाबास दिखनादा के खाता संख्या 293/274 की कुल 8.4110हैक में से 16129/126125 हिस्सा प्रत्येक वादीगण के नाम दर्ज है

उक्त भूमि मे वादीगण का नाम रायसिह पुत्र कृष्ण , नरसीराम पुत्र कृष्ण दर्ज कर रखा है जबकि वादी का सही नाम सुरेन्द्र कुमार पुत्र किशन लाल , नरेश कुमार पुत्र कृष्ण है सहवन से राजस्व रिकार्ड तैयार करते समय वादी का नाम गलत तौर से दर्ज किया गया है वादीगण का सही नाम सुरेन्द्र कुमार पुत्र किशन लाल , नरेश कुमार पुत्र कृष्ण है यही नाम सभी दस्तावेजात में दर्ज है।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वादीगण के सभी दस्तावेजात जैसे भारत निर्वाचन आयोग का मतदाता फोटो पहचान पत्र , भारत सरकार का आम आदमी का आधार कार्ड , परिवार राशन कार्ड सभी में वादीगण का नाम सुरेन्द्र कुमार पुत्र किशन लाल , नरेश कुमार पुत्र कृष्ण दर्ज है किन्तु राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम रायसिह , नरसीराम दर्ज किया गया है जो गलत है तथा सरपंच ग्राम पंचायत ललाना उतरादा के अनुसार भी वादीगण का नाम सुरेन्द्र कुमार पुत्र किशन लाल , नरेश कुमार पुत्र कृष्ण है।

वादीगण का राजस्व रिकार्ड में नाम गलत तौर से दर्ज होने से वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है वादीगण को राज्य सरकार के द्वारा दी जाने वाली केसीसी , खाद बीज का ऋण , मुआवजा व अन्य योजनाओं का लाभ प्राप्त नही हो पा रहा है वादी का अन्य किसी सहखातेदार से कोई अनुतोष नही है वादी केवल राजस्व रिकार्ड में अपना नाम संशोधन करवाना चाहता है।

पेरोकार राज ने अपनी बहस में अपने जबाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत दस्तावेजात के अनुसार की रोही मौजा ललानाबास दिखनादा के खाता संख्या 293/274 की कुल 8.4110हैक में से 16129/126125 हिस्सा प्रत्येक वादीगण के नाम दर्ज है

वादीगण का कथन है कि वादीगण का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय सुरेन्द्र कुमार पुत्र किशन लाल , नरेश कुमार पुत्र कृष्ण के स्थान पर रायसिह , नरसीराम दर्ज किया गया है सही नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है।

वादीगण के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के मतदाता पहचान पत्र, आम आदमी का आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, दस्तावेजात सभी में वादीगण का नाम सुरेन्द्र कुमार पुत्र किशन लाल , नरेश कुमार पुत्र कृष्ण दर्ज है। वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात से वादी का नाम सुरेन्द्र कुमार पुत्र किशन लाल , नरेश कुमार पुत्र कृष्ण होना प्रतित होता है तथा वादीगण के नाम के सम्बध में ग्राम पंचायत ललाना बास के अनुसार भी वादीगण का सही नाम सुरेन्द्र कुमार पुत्र किशन लाल , नरेश कुमार पुत्र कृष्ण है

वादीगण के राजस्व रिकार्ड एवं प्रस्तुत अन्य दस्तावेजात में वादी के नामों में भिन्नता है तहसीलदार राजस्व नोहर के अनुसार वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है साथ ही यदि वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाता है तो राज्य सरकार को किसी प्रकार की हानी नही होती है बल्की राजस्व रिकार्ड ही संशोधित होता है।

वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात , शपथ पत्र/पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐतराज पेश होने के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है।

वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं सरपंच ग्राम पंचायत ललाना बास दिखनादा के प्रमाण पत्र तथा पेरोकार राज को किसी प्रकार को ऐतराज नही होने के कारण वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा ललाना बास दिखनादा के खाता संख्या 293/294 की कुल 8.4110हैक में वादीगण प्रत्येक का 16129/126125 हिस्सा दर्ज है में वादी संख्या 1 का नाम रायसिह पुत्र कृष्ण एवं वादी संख्या 2 का नाम नरसीराम दर्ज है के स्थान पर वादी संख्या 1 का नाम सुरेन्द्र कुमार उर्फ रायसिह एवं वादी संख्या 2 का नाम नरेश कुमार उर्फ नरसीराम संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकिन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12/08/22 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6—7 जाब्ता दिवानी)

न्याायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अज अदालत :— सुश्री श्वेता कोचर (आर.ए.एस)

अनवान :—

1. सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री किशन लाल जाति जाट साकिन ललाना बास श्योपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. नरेन्द्र कुमार पुत्र कृष्ण लाल जाति जाट साकिन ललाना बास श्योपुरा तहसील नोहर।

वादीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 291 सन 2021 निर्णय दिनांक– 12/08/2021

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादीयागण एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्यों के आधार पर वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा ललाना बास दिखनादा के खाता संख्या 293/294 की कुल 8.4110हैक में वादीगण प्रत्येक का 16129/126125 हिस्सा दर्ज है में वादी संख्या 1 का नाम रायसिह पुत्र कृष्ण एवं वादी संख्या 2 का नाम नरसीराम दर्ज है के स्थान पर वादी संख्या 1 का नाम सुरेन्द्र कुमार उर्फ रायसिह एवं वादी संख्या 2 का नाम नरेश कुमार उर्फ नरसीराम संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकिन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 12/08/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर